"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 नवम्बर 2001 कार्तिक 18 शक1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10-332/2001/वा.क./पांच (66).—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1681/एफ/10/332/2001/वा.क.-पांच (37) दिनांक 10-8-2001 के कालम (2) में शव्द "अन्य प्रकार के केबल्स" के पश्चात् शव्द "तथा एच.डी.पी.ई./पी.व्ही.सी. टेलीकाम डक्ट्स" को जोड़ा जाये.

यह अधिसूचना 10-8-2001 से प्रभावशील मानी जायेगी.

Raipur, the 9th November 2001

NOTIFICATION

No. F-10-332/2001/CT/V(66).—In column (2) of this department notification No. 1681/f/10/332/2001/CT/V(37) dated 10.8.2001 after the words "cables of other types" the words "and HDPE/PVC Telecom ducts" shall be added.

This notification shall be deemed to be effective with effect from 10-8-2001.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर दिनांक 9 नवम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक - एफ/10-387/2001/वा.क./पांच (67) —छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (1976 का क्रमांक 52) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शायी गई वस्तुओं की श्रेणी को कालम (3) में दर्शायी गई सीमा तक कालम (4) में दर्शायी गई शर्तों एवं निर्बन्धनों के अंतर्गत 1-4-99 से 31-3-2003 तक के लिये कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

अनु क्रं.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा	शर्तें एवं निर्बन्धन
1	2	3	4
1.	कच्चा ऊन	संपूर्ण कर	जबकि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसायी द्वारा राज्य में अन्तर्राज्यीय वाणिज्य एवं व्यवसाय के दौरान अथवा भारत की सीमा के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय हेतु वस्तुओं के निर्माण में उपयोग या उपभोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश किया गया हो।

Notification

No.F/10-38/2001/CT/V(67)—In exercise of powers conferred by section 10 of the chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby exempt the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3) with effect from 01-04-1999 to 31-03-2003 subject to the restrictions and conditions specified in clumn (4) of the said schedule.

Schedule

S.No. (1)	Class of Goods (2)	Extent of Exemption (3)	Restrictions and Conditions (4)
1.	Raw wool	Whole of Tax	When entered in the local area by the registered dealer under Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 and used or consumed in the manufacture of goods for sale inside the Stete, in the course of Inter State trade and Commerce or in the course the exposrt out of the territory of India.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2001